भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5132

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

पिछड़े गांवों का विद्युतीकरण

5132. श्री कृष्ण प्रतापः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से पिछड़े जिलों विशेषकर जौनपुर क्षेत्र के विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की स्थिति क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या विद्युत के अभाव में इन पिछड़े क्षेत्रों के समक्ष समस्याओं के मद्देनजर इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) **के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार से** 100 **से अधिक जनसंख्या वाले शेष बचे गैर-विद्युतीकृत गांवों और वासस्थलों के विद्युतीकरण के लिए** 12**वीं योजना के अतर्गत अनुमोदन के लिए** 75 **प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें पिछड़े गावों का विद्युतीकरण भी शामिल है इससे** 64 **पात्र परियोजनाएं वित्तीय वर्ष** 2013-14 **के दौरान विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थीं । जौनपुर सहित शेष** 11 **परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि वर्ष** 2011 **की जनगणना के अनुसार सभी ग्रामीण घरों को पहले ही शामिल किया हुआ पाया गया है ।**

12**वीं योजना की परियोजनाओं को पूरा करने की निर्धारित अवधि संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा संविदा अवार्ड करने की तिथि से** 24 **महीना है ।**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5143

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

लघु विद्युत उत्पादन इकाइयों का संवर्धन

5143. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाणः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का 25 मेगावाट और 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाली लघु विद्युत इकाइयों को प्रोत्साहित करने और उन्हें कतिपय रियायतें प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : 25 **मेगावाट एवं इससे कम की लघु जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित मामलों पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** (एमएनआरई) **द्वारा कार्रवाई की जाती है तथा** 25 **मेगावाट से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित मामलों पर विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है ।**

एमएनआरई 25 **मेगावाट एवं इससे कम की लघु जल विद्युत परियोजनाओं** (एसएचपी) **से संबंधित निम्नलिखित स्कीमों/कार्यकलापों के संबंध में अनुदान/सहायता/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता हैः-**

(i) **केन्द्रीय/राज्य सरकार विभाग एवं एजेंसियों/स्थानीय निकायों को नए संभाव्य एसएचपी स्थलों की पहचान करने, योजना तथा एसएचपी परियोजना स्थलों के विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण** (डीएसआई) **सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहायता स्कीम ।**

(ii) **सरकारी/निजी/सहकारी/संयुक्त क्षेत्र में नई एसएचपी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सहायता स्कीम ।**

(iii) **सरकारी क्षेत्र में मौजूदा एसएचपी परियोजनाओं के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए सहायता स्कीम ।**

(v) पनचक्की (यांत्रिक/विद्युत उत्पादन) के विकास/उन्नयन तथा सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं (100 कि.वा. की क्षमता तक) स्थापित करने के लिए सहायता स्कीम ।

(vi) आर एण्ड डी परियोजनाओं, तकनीकी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण, टरबाइन प्रयोगशाला की स्थापना, व्यावसायिक बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों, अध्येतावृत्ति एसएचपी परियोजनाओं की निगरानी, परामर्श एवं/ अथवा एसएचपी विकास के लिए आवश्यक समझे गए अन्य कार्यकलापों को सहायता ।

विद्युत मंत्रालय ने नई जल विद्युत नीति, 2008 लागू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में 25 मेगावाट से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) से संबंधित जल विद्युत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय निर्धारित किए गए हैः-

- कास्ट प्लस टैरिफ पद्धति (जिसमें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अंतर्गत विनियामक द्वारा प्रशुल्क निर्धारित किया जाना होता है) को सार्वजनिक तथा साथ ही साथ निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2015 तक बढ़ा दिया गया है ।
- निजी विकासकर्ताओं को स्थल अवार्ड करने के लिए पारदर्शी चयन मानदण्ड ।
- परियोजना विकासकर्ता को परियोजना स्थल हासिल करने में उनके द्वारा किए गए व्यय की वसूली करने में समर्थ करने के लिए उसे बिक्री योग्य ऊर्जा के अधिकतम 40% तक की व्यापारिक बिक्री के द्वारा विशेष प्रोत्साहन की अनुमति दी गई है । इन परियोजनाओं को समय से पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, चालू किए जाने की तिथि से प्रत्येक छः माह के विलंब के परिणामस्वरूप व्यापारिक बिक्री में 5% की कमी की जाएगी ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5146

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत की सुलभता

5146. श्री बी. श्रीरामुलुः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व बैंक ने वर्ष 2019 तक देश में सभी लोगों को विद्युत सुलभ कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार विश्व बैंक के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी नहीं । विश्व बैंक ने वर्ष 2019 **तक देश में सभी लोगों को विद्युत की पहुंच उपलब्ध कराने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।**

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5163

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

पीजीसीआईएल द्वारा स्थापित ट्रांसफॉर्मर

5163. श्री छेदी पासवानः

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः

श्री भैरों प्रसाद मिश्रः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बिहार के रोहतास, कैमूर, मधुबनी और दरभंगा जिलों और उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों के अधिकतर गांवों में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा स्थापित 16 केवी, 20 केवी और 25 केवी ट्रांसफॉर्मर जल गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और जले हुए ट्रांसफॉर्मरों की संख्या कितनी है और वे कब से ऐसी स्थिति में हैं;

(ख) क्या उक्त एजेन्सी ने उक्त जिलों के कई सौ गाँवों में बीपीएल परिवारों के घरों में विद्युत आपूर्ति हेतु वायरिंग कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त गाँवों में जले हुए ट्रांसफॉमरों को बदलने का है और बीपीएल परिवारों के घरों में वायरिंग के अधूरे कार्य को पूरा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु राज्य-वार क्या समय-सीमा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या इस संबंध में विलंब हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल), बिहार और आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, बिहार के दरभंगा, मधुबनी, रोहतास एवं कैमूर जिला और उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में संस्थापित/खराब/जले हुए ट्रांसफार्मरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैः-

बिहार

जिला	संस्थापित ट्रांसफार्मरों की संख्या	खराब/जले हुए ट्रांसफार्मरों की संख्या
दरभंगा	1277	318
मधुबनी	1329	246
रोहतास	1459	426
कैमूर	735	128

उत्तर प्रदेश

जिला	संस्थापित ट्रांसफार्मरों की संख्या	खराब/जले हुए ट्रांसफार्मरों की संख्या	मरम्मत किए गए/बदले गए ट्रांसफार्मरों की संख्या
बांदा	7532	168	154
चित्रकूट	4031	65	65

(ख) : एनबीपीडीसीएल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कार्यक्षेत्र के अनुरूप पीजीसीआईएल द्वारा सभी बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन का कार्य पूरा किया जा चुका है।

(ग) से (च) : राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा संस्थापित अवसंरचना को कब्जे में लेने के बाद जले हुए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत/बदलने की जिम्मेदारी राज्य विद्युत यूटिलिटी की होती है। तथापि, राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा कब्जा करने से पूर्व जले हुए ट्रांसफार्मर ठेकेदार द्वारा बदले जाते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5167

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत संस्थान प्रारंभ करना

5167. मोहम्मद फैज़लः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की योजना राष्ट्रीय ताप विद्युत संस्थान को प्रारंभ करने की है;

(ख) यदि हां, तो संस्थान के उद्देश्य और प्रस्तावित कार्य क्या हैं; और

(ग) किन-किन स्थानों पर और कब तक उक्त संस्थान के स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : वर्तमान में, राष्ट्रीय ताप विद्युत संस्थान शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, ताप विद्युत क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित सुविधाएं पहले से ही विद्यमान हैं:

(i) केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत कोराडी (नागपुर) में ताप अनुसंधान केंद्र।

(ii) फरीदाबाद (हरियाणा), बदरपुर (दिल्ली), नेवेली (तमिलनाडु) और नागपुर (महाराष्ट्र) में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थान।

12वीं योजना के अंतर्गत अलाप्पुजा (केरल) और शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में एनपीटीआई के अंतर्गत दो और संस्थान स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5180

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

एन.एच.पी.सी. के कर्मचारियों की पदोन्नति में अनियमितताएं

5180. डॉ. संजय जायसवालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान एन.एच.पी.सी. के कर्मचारियों की पदोन्नति में अनियमितता बरते जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हां।

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान पदोन्नति से संबंधित प्राप्त शिकायतों की एनएचपीसी के परामर्श से जांच की गई थी। प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 14.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5180 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

क्रम सं.	शिकायतकर्ता	शिकायत का सार	उत्तर/की गई कार्रवाई
1	श्री राजेश शर्मा, फरीदाबाद (संदर्भ: एमपीओडब्ल्यूआर/ई/2012 /00206 दिनांक 27.06.2012)	मार्च, 2011 में पदोन्नति नीति में किए परिवर्तन के कारण ई 1 से ई 2, ई 2 से ई3, ई 3 से ई 4 तथा ई 4 से ई 5 ग्रेडों में कार्यपालकों की पदोन्नतियों के लिए पिछले 15 माह की देरी।	इन श्रेणियों की पदोन्नतियों में देरी इस मामले के माननीय उच्च न्यायालय, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू में न्यायाधीन होने के कारण हुई। यह मामला दिनांक 27.03.2009 तथा 04.03.2011 के अनुसार एनएचपीसी कार्यपालकों हेतु पदोन्नति नीति एवं नियमावली में किए गए संशोधनों के संबंध में है। माननीय उच्च न्यायालय, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू से निर्णय लंबित होने के कारण एनएचपीसी ने ई 1 से ई 2, ई 2 से ई3, ई 3 से ई 4 तथा ई 4 से ई 5 ग्रेडों में कार्यपालकों की पदोन्नति उपर्युक्त संशोधनों के जारी होने से पूर्व मौजूद नीति के आधार पर करने का निर्णय लिया।
2	श्री स्टीफन जोस, चम्बा (हिमाचल प्रदेश) (संदर्भ: एमपीओडब्ल्यूआर /ई/2012/00378 दिनांक 23.10.2012)	उपर्युक्त के अनुसार यह जोड़कर कि वित्तीय लाभ पिछली तिथि से नहीं दिए गए हैं।	उपर्युक्त के अनुसार। जहां तक वित्तीय लाभों का प्रश्न है, ये 01.04.2011 तथा 01.04.2012 से प्रभावी पदोन्नतियों को कल्पित प्रभाव दिया गया था और इस कल्पित अवधि अर्थात पदोन्नति की प्रभावी तिथि से पदोन्नति के आदेश जारी होने की तिथि तक के लिए कोई वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि उक्त अवधि में कार्यपालकों ने पदोन्नत पदों पर वास्तविक तौर पर कार्य नहीं किया था।
3	श्री स्टीफन जोस, चम्बा (हिमाचल प्रदेश) (संदर्भ: एमपीओडब्ल्यूआर /ई/2013/00104 दिनांक 04.04.2013)	उपर्युक्त क्रम सं. 2 जैसा	उपर्युक्त क्रम सं. 2 जैसा
4	श्री हिमांशु नागपाल, एनएचपीसी, फरीदाबाद (संदर्भ: पीआरएसईसी/ई/2013/12362 दिनांक 06.08.2013)	इन्होंने डिस्टेंस ऐजुकेशन के माध्यम से इग्नू से अर्जित सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री पर विचार किए जाने और 01.04.2008 से इन्हें सहायक प्रबंधक (सिविल) तथा 01.04.2012 से उप प्रबंधक (सिविल) के पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु अनुरोध किया था।	प्रबंधन ने इनकी डिग्री को मान्य मानते हुए श्री नागपाल को 01.04.2008 से सहायक प्रबंधक (सिविल) तथा 01.04.2012 से उप प्रबंधक (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया है।
5	श्री शैलेष कुमार, एडवोकेट, रांची (संदर्भ 11/5/2014-एनएचपीसी दिनांक 24.01.2014)	01.01.1997 से 30.06.2005 तक की अवधि में किसी कैलेंडर वर्ष के 30 जून तक एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्यपालकों की पदोन्नति में एनएचपीसी द्वारा विवेकाधीन मनमानी शक्तियों का प्रयोग किया जाना तथा पदोन्नति के लिए अर्हता अवधि में तीन माह की छूट प्रदान किया जाना।	01.01.1997 से 30.06.2005 तक की अवधि में प्रभावी सभी पदोन्नतियां निगम की मौजूदा नियमावली/नीति के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।

6	श्री राजेश शर्मा, फरीदाबाद (संदर्भ: 14/1/2014-एनएचपीसी (डेस्क) दिनांक 01.05.2014)	2011 और 2012 में पदोन्नति के लिए वित्तीय लाभ न दिया जाना।	01.04.2011 तथा 01.04.2012 से प्रभावी पदोन्नतियों को इन तिथियों से कल्पित (नोशनल) प्रभाव दिया गया था। तथापि कल्पित अवधि अर्थात पदोन्नति की प्रभावी तिथि से पदोन्नति आदेशों के जारी किए जाने की तिथियों तक कोई वित्तीय लाभ नहीं प्रदान किया जा सकता, क्योंकि उक्त अवधि में कार्यपालकों ने वास्तविक तौर पर पदोन्नति के पदों पर कार्य नहीं किया है।
7	श्री रणवीर सिंह, फरीदाबाद (संदर्भ: एमपीओडब्ल्यूआर/ई/2014/00340 दिनांक 13.07.2014)	आवेदक ने आरोप लगाया है कि एनएचपीसी ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग मानकों का कार्यान्वयन करके जूनियर इंजीनियरों (जेई) की पदोन्नति के लिए अनुचित नीति लागू की है/संशोधन किया है।	दिनांक 24.07.2013 के कार्यालय आदेश के अनुसार पर्यवेक्षकों के लिए जारी की गई संशोधित पदोन्नति नीति क्रियान्वित करने से पूर्व जूनियर इंजीनियरों सहित सभी पर्यवेक्षकों की पदोन्नति ई 1 ग्रेड में कार्यपालक कैडर में लिखित परीक्षा/साक्षात्कार उत्तीर्ण करने की शर्त तथा अन्य संगत कारकों जैसे पीएआर, सतर्कता निकासी आदि के आधार का कड़ाई से पालन करते हुए की जाती थी। अब पर्यवेक्षकों के लिए संशोधित पदोन्नति नीति के क्रियान्वयन के साथ जूनियर इंजीनियरों सहित सभी पर्यवेक्षकों की ई 1 ग्रेड तक पदोन्नति 01.04.2014 से क्लस्टर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है।
8	श्री पी.एस. नायडू, असम (संदर्भ: एमपीओडब्ल्यूआर/ई/2014/00372 दिनांक 21.07.2014)	2011 से पर्यवेक्षकों की पदोन्नति में देरी।	आवेदक द्वारा लगाया 2011 से पर्यवेक्षकों की पदोन्नति में देरी का आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। 01.04.2012 से प्रभावी पर्यवेक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय, शिमला में मामला लंबित होने के कारण रुकी हुई थी। दिनांक 07.04.2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर 01.04.2012 से पर्यवेक्षकों की पदोन्नति पहले ही की जा चुकी है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5189

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

पारेषण नेटवर्क की स्थापना

5189. श्री सी. आर. पाटीलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में पारेषण नेटवर्क स्थापित करने के लिए मार्गाधिकार प्राप्त करने से संबंधित के संबंध में विभिन्न गंभीर मुद्दे उत्पन्न हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योजना-स्तर पर ही मार्गाधिकार का मामला सुलझा लेने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास प्राधिकरण और नगरपालिका जैसे प्राधिकरणों को अधिदेश देने के लिए किसी विशिष्ट विनियम की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा विशिष्ट अनुदेश कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है जिसका सामना करना पड़ता है और जिसके कारण कुछ पारेषण परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब होता है । सामान्यतः पारेषण लाइन के मार्ग का निर्णय करते समय कृषि भूमि, निजी भूमि आदि को छोड़ दिया जाता है लेकिन कई बार गैर-कृषि भूमि या गैर-निजी भूमि के उपलब्धता न होने के कारण इन भूमियों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है । पारेषण लाइन बिछाने के लिए भू-स्वामियों से भूमि नहीं ली जाती है और भू-स्वामी कृषि प्रयोग सहित स्वयं के प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग करना जारी रखते हैं । मुख्यत: ये मुद्दे सतही नुकसान (अर्थात वृक्ष एवं फसल का नुकसान) के कारण सामने आते हैं जोकि परियोजना कार्यान्वयन के दौरान घटित होता है जिसमें प्रभावित पक्षकार विद्युत अधिनियम, 2003 में यथानिर्धारित प्रावधानों से परे नुकसान के लिए मुआवजे की माँग करता है ।

(ख) और (ग) : वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में ऐसा कोई विनियम विचारार्थ नहीं है ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5192

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों की स्थापना

5192. श्री फग्गन सिंह कुलस्तेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना और चालू योजना अवधि के दौरान देश में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में संयंत्र-वार कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) इसमें संयंत्र-वार कुल कितने जनजातीय परिवार प्रभावित हुए हैं और उनको कितनी धनराशि का मुआवजा दिया गया है; और

(ग) उन परिवारों के व्यक्तियों की संयंत्र-वार संख्या क्या है जिनको रोजगार प्रदान किया गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5205

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करना

5205. श्री थोटा नरसिम्हमः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने का शुल्क 60 प्रतिशत तक घटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत संयंत्रों के लिए एकबारगी प्रक्रिया शुल्क, पंजीकरण शुल्क और वार्षिक प्रभार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने "केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र को मान्यता देने और जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के विनियम 11 के अन्तर्गत भुगतान योग्य शुल्क और प्रभारों के निर्धारण" के मामले में दिनांक 05.02.2014 के अपने आदेश के माध्यम से दिनांक 01.04.2014 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के शुल्क को 10 रूपये प्रति प्रमाण पत्र के वर्तमान स्तर से घटाकर 4 रूपये प्रति प्रमाण पत्र कर दिया है।

(ग) और (घ) : जी, हां। ब्यौरा **अनुबंध** में है।

****

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 14.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5205 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने और जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 अधिसूचित किया है। इन विनियमों के विनियम 11 में निम्नानुसार व्यवस्था की गई हैः-

11. शुल्क एवं प्रभार

(1) आयोग केन्द्रीय एजेन्सी से इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, समय-समय पर आदेश द्वारा, पंजीकरण, प्रमाण-पत्र की पात्रता, प्रमाण-पत्र जारी करने और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए स्कीम में सहभागिता हेतु पात्र निकायों द्वारा देय शुल्क और प्रभारों का निर्धारण करेगा।
(2) इन विनियमों के अन्तर्गत देय शुल्क और प्रभार, आयोग के उपयुक्त विचार के अनुसार इन विनियमों के अनुरूप एक बारगी पंजीकरण शुल्क और प्रभार, वार्षिक शुल्क और प्रभार, प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए ट्रांजेक्शन शुल्क और प्रमाण-पत्र संबंधी कार्यों के लिए प्रभार को शामिल कर सकता है।
(3) पात्र निकायों द्वारा दिए गए शुल्क और प्रभारों का संग्रहण केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा किया जायेगा और इन विनियमों के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन में लगे अनुपालन परीक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, परामर्शकों और प्रतिनिधियों को देय पारिश्रमिक की लागत और व्यय को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

उपर्युक्त विनियम के अनुरूप, आरईसी तंत्र में प्रतिभागिता हेतु पात्र निकायों द्वारा देय शुल्क और प्रभारों में निम्नलिखित शामिल हैः-

(**क**) एक बारगी पंजीकरण शुल्क और प्रभार,
(**ख**) वार्षिक शुल्क और प्रभार,
(**ग**) प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए ट्रांजेक्शन शुल्क और प्रभार, और
(**घ**) प्रमाण पत्र संबंधी कार्यो हेतु प्रभार

आयोग अपनी स्वयंमेव याचिका संख्या 230/2010 के द्वारा, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र को मान्यता देने और जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के विनियम 11 के अंतर्गत देय शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण के लिए दिनांक 21 सितम्बर, 2010 को एक आदेश जारी किया है, केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा उगाहे जा रहे आरईसी के पंजीकरण और जारी करने के लिए निर्धारित शुल्क और प्रभार निम्नानुसार हैः-

पंजीकरण के लिए शुल्क और प्रभार

विवरण	**राशि रूपये में**
प्रक्रिया शुल्क (एक बारगी)	1,000
पंजीकरण प्रभार (पंजीकरण पर एक बारगी)	5,000
वार्षिक प्रभार	1,000
5 वर्ष के समाप्त होने पर पुनः वैधीकरण प्रभार	5,000

पात्र निकाय को आरईसी जारी करने के लिए शुल्क

विवरण	**राशि रूपये में**
प्रति प्रमाण-पत्र शुल्क	10

आयोग द्वारा निर्धारित उपर्युक्त शुल्क और प्रभार 31.03.2013 **तक वैध थे। आदेश का संगत भाग निम्नानुसार हैः-**

आयोग ने दिनांक 05.02.2014 के अपने आदेश के द्वारा निर्णय लिया है कि पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने के मौजूदा शुल्क और प्रभार 31.03.2014 तक जारी रहेंगे और प्रमाण पत्र जारी करने से इतर शुल्क और प्रभार, जैसे कि वे वर्तमान में हैं, 31.03.2014 के बाद भी अगले आदेशों तक जारी रहेंगे।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5214

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत परियोजनाएं

5214. श्री राजवीर सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित चालू ताप परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जवाहर ताप परियोजना अभी भी अपूर्ण पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो उसके लिए क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस परियोजना के तत्काल पूर्ण किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार उत्तर प्रदेश में किसी ताप विद्युत परियोजना का वित्तपोषण नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय क्षेत्र (एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा) और राज्य क्षेत्र में चल रहे ताप विद्युत संयंत्रों का स्थान-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) से (घ) : कोयला मंत्रालय ने, यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, द्वारा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में प्रस्तावित जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना (2x660 **मेगावाट) को चेन्दीपाड़ा और चेन्दीपाड़ा-॥ केप्टिव कोयला ब्लाक आबंटित किया हैं।**

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 14.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5214 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

क्षेत्र	स्थान	क्षमता (मेगावाट)
केंद्रीय क्षेत्र (एनटीपीसी लि. द्वारा)		
औरैया सीसीपीपी	औरैया	663.36
दादरी (एनसीटीपीपी)	गौतमबुद्ध नगर	1820
दादरी सीसीपीपी	गौतमबुद्ध नगर	829.78
रिहंद एसटीपीएस	सोनभद्र	3000
सिंगरौली एसटीपीएस	सोनभद्र	2000
टांडा टीपीएस	फैजाबाद	440
ऊंचाहार टीपीएस	रायबरेली	1050
उप-जोड़		9803.14
राज्य क्षेत्र		
अनपरा टीपीएस	सोनभद्र	1630
हरदुआगंज टीपीएस	अलीगढ़	665
ओबरा टीपीएस	सोनभद्र	1278
पनकी टीपीएस	कानपुर	210
परीछा टीपीएस	झांसी	1140
उप-जोड़		4923
सकल योग		**14726.14**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5218

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

नई विद्युत पारेषण परियोजनाएँ

5218. श्री प्रताप सिम्हाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में विद्युत पारेषण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए हाल में 12,500 करोड़ रुपए लागत की नौ नई पारेषण परियोजनाओं को मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को शुरू करने के पश्चात् वर्ष 2017 तक 28,000 मेगावाट विद्युत पारेषण क्षमता बढ़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। भारत सरकार ने प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मार्ग द्वारा नौ विद्युत पारेषण परियोजनाएं अधिसूचित की है जिनकी अनुमानित लागत 12,272 **करोड़ रूपये है। इन पारेषण स्कीमों का ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है।**

(ग) और (घ) : पारेषण लाइनों के माध्यम से पारेषित विद्युत ग्रिड के प्रणाली पेरामीटरों पर निर्भर करती है। 765 **केवी पारेषण लाइनों में सामान्यतया लगभग** 2000 **मेगावाट प्रति सर्किट और** 400 **केवी डी/सी ट्विन मूस लाइन में लगभग** 1100 **मेगावाट की वहन क्षमता होती है।**

इन पारेषण स्कीमों के माध्यम से अनुमोदित पारेषण प्रणाली में उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में 765 **केवी और** 400 **केवी की प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीमें और छत्तीसगढ़ में उत्पादन से सम्बंधित परियोजनाएं शामिल हैं। उपर्युक्त नई पारेषण परियोजनाओं के चालू होने से प्रणाली में** 765 **केवी लाइनों का लगभग** 4643 **सर्किट किलोमीटर,** 400 **केवी लाइनों का** 1260 **सर्किट किलोमीटर और** 765 **केवी स्तर पर** 13000 **एमवीए और** 400 **केवी स्तर पर** 1630 **एमवीए की रूपान्तरण क्षमता जोड़ी जाएगी।**

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 14.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5218 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

सरकार द्वारा टीबीसीबी के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित की गईं पारेषण परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	**परियोजना का नाम**	**अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)**
1	एनटीपीसी के गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली (भाग-क)	2525
2	एनटीपीसी के गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली (भाग-ख)	2360
3	माहेश्वरम 400/765 (हैदराबाद)केवी पूलिंग एसएस के लिए कनेक्टिविटी / लाइनें	396
4	नैवेली में 2x500 मेगावाट की नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड टीएस-I (परिवर्तन) (एनएनटीपीएस) के 400 मेगावाट के एलटीए के लिए पारेषण प्रणाली	216
5	विंध्याचल-V के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण	1200
6	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम - XXXV.	88
7	सीपत एसटीपीएस के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढ़ीकरण	2473
8	छत्तीसगढ़ में आईपीपी के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण और पश्चिमी क्षेत्र में अन्य उत्पादन परियोजनाएं	823
9	छत्तीसगढ़ आईपीपी के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढ़ीकरण	2191
	कुल	**12,272**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5219

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

जल-विद्युत परियोजनाएं

5219. श्री निनोंग इरिंगः

श्री कामाख्या प्रसाद तासाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अरूणाचल प्रदेश के पास प्रतिवर्ष 49,126 मेगावाट जल-विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो राज्य की इस क्षमता का दोहन करने हेतु प्रस्तावित और पूर्ण की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस क्षमता का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) राज्य में चालू उन जल-विद्युत परियोजनाओं, जिनके लिए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, का ब्यौरा क्या है तथा अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के जरिए कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन की संभावना है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के सिलसिले में कोई पर्यावरणिक प्रभाव संबंधी आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं से जलधारा प्रवाह के निचले क्षेत्रों को होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणिक प्रभावों का उपशमन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : देश में जल विद्युत क्षमता के पुनर्मूल्यांकन के लिए वर्ष 1987 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार अरूणाचल प्रदेश में लगभग 50,328 मेगावाट (50,064 मेगावाट-25 मेगावाट से अधिक) की जल विद्युत क्षमता की पहचान की गई थी । वर्तमान में अरूणाचल प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना (एचईपी), अर्थात रंगानाडी चरण-। (405 मेगावाट) प्रचालन में है और तीन एचईपी अर्थात एनएचपीसी द्वारा सुबानसिरी लोअर (2000 मेगावाट), नीपको द्वारा कामेंग (600 मेगावाट) और पारे (110 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं।

जल एवं जल विद्युत राज्य से संबंधित विषय है और जल विद्युत परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जाती है। 12वीं योजना के दौरान और उसके आगे कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा 49,301 मेगावाट की कुल क्षमता सहित कुल 107 जल विद्युत परियोजना (25 मे.वा. से अधिक) केन्द्रीय एवं निजी क्षेत्रों को आवंटित की गई हैं । इन जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार हैः-

	संख्या	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)
सहमति प्राप्त जल विद्युत स्कीमें		
सीईए द्वारा	16	17736
राज्य द्वारा	7	378
जांच के अधीन जल विद्युत स्कीमें		
सीईए में	5	3402
राज्य में	4	227
सर्वेक्षण और जांच (एसएण्डआई) के अधीन जल विद्युत स्कीमें	49	16304
जिन जल विद्युत स्कीमों को चालू नहीं किया गया (कमेंग बेसिन)	6	1490
आबंटित अन्य जल विद्युत स्कीमें	20	9764
कुल	**107**	**49301**

(ग) : अरूणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर किए गए हस्ताक्षर की तिथि सहित चालू होने पर अनुमोदन की तिथि और संभावित विद्युत की मात्रा सहित 3 निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

क्रम सं.	**परियोजना का नाम / कार्यान्वयन एजेंसी/संस्थापित क्षमता**	**निवेश अनुमोदन की तिथि**	**एमओयू/एमओए पर हस्ताक्षर करने की तिथि**	**90% विश्वसनीय वर्ष में उत्पादन (मिलियन यूनिट)**	**चालू होने की स्थिति**
1.	सुबानसिरी लोअर/ एनएचपीसी (8x250=2000 मे.वा.)	9.9.2003	27.01.2010	7422	वर्तमान में कार्य रूका हुआ है। कार्यों के पुनः प्रारम्भ होने के पश्चात 53 माह में पुनः चालू किया जाएगा ।
2.	कमेंग/नीपको (4x150=600 मे.वा.)	2.12.2004	31.03.1999	3353	2016-17
3.	पारे/नीपको (2x55= 110 मे.वा.)	4.12.2008	21.9.2006	506.44	2016-17

(घ) : एनएचपीसी/नीपको द्वारा निर्माण की जा रही उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन (ईआईए) किया गया है ।

(ङ) : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की स्वीकृति प्रदान करते समय जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में शामिल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय पहलुओं की जांच की जाती है और एमओईएफ द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात ही परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

पर्यावरण प्रबंधन योजना प्रत्येक परियोजना का ईआईए अध्ययन के भाग के रूप में तैयार की जाती है जिसमें परियोजनाओं के निष्पादन के साथ-साथ प्रचालन के समय पर्यावरण सुरक्षा के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे विस्तृत रूप में वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एमओईएफ/केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा अरूणाचल प्रदेश में बड़े बेसिनों के संबंध में संचयी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रारम्भ किए गए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5226

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत की विक्रय-मूल्य संबंधी सीमा

5226. श्री हरिंदर सिंह खालसाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत की बढ़ती कीमतों को कम करने के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) का विद्युत की विक्रय-मूल्य संबंधी सीमा निर्धारित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा संपूर्ण देश में विद्युत-शुल्क घटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं । केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, आयोग के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) : उपर्युक्त (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) : वर्ष 2009-10 से, अल्पकालिक बाजार में विद्युत के लेन-देन के मूल्य में गिरावट आई है। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए मूल्य का रुझान दर्शाते हुए विवरण **अनुबंध** में दिया गया है ।

(घ) : प्रशुल्क का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 से 64 तक के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाई गई नीतियों के अनुरूप उपयुक्त विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। जबकि केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों के लिए प्रशुल्क का विनियमन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है, राज्य के भीतर उत्पादन, आपूर्ति एवं पारेषण के लिए प्रशुल्क राज्य विनियामक आयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार, राज्य/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी/जेईआरसी) सरकारी तथा निजी दोनों वितरण लाइसेंसियों के लिए समय-समय पर प्रशुल्क निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें अधिसूचित करते हैं। अधिनियम की धारा 61 में उन मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है जिन पर उपयुक्त आयोग के लिए प्रशुल्क की निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करने हेतु विचार करना आवश्यक है। सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क को सीधे विनियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, सरकार उपयुक्त नीति ढ़ाचे तथा कार्यक्रमों के माध्यम से, विद्युत की आपूर्ति की लागत घटाने के मद्देनज़र उत्पादन, पारेषण तथा वितरण व्यापार में दक्षता को बढ़ावा दे रही है।

****

अनुबंध

विद्युत की विक्रय मूल्य संबंधी सीमा के बारे में लोक सभा में दिनांक 14.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5226 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

****

वर्ष	**व्यापारियों के माध्यम से विद्युत के लेन-देन का मूल्य (रूपये/कि.वा.घं.)**	**विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से विद्युत के लेन-देन का मूल्य [डे अहेड मार्केट (डीएएम)+ टर्म अहेड मार्केट (टीएएम)] (रूपये/कि.वा.घं.)**
2009-10	5.26	4.96
2010-11	4.79	3.47
2011-12	4.18	3.57
2012-13	4.33	3.67
2013-14	4.29	2.9

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5236

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

गैस आपूर्ति के अभाव में विद्युत आपूर्ति

5236. श्री तारिक अनवरः

श्री नारणभाई काछड़ियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में गैस-आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की क्षमता कितनी है और इन केन्द्रों को पूरी क्षमता के साथ चलाने के लिए संयंत्र-वार कितनी गैस की आवश्यकता है;

(ख) विद्युत उत्पादन के लिए स्वदेशी प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की मात्रा कितनी है;

(ग) विद्युत उत्पादन के लिए लंबी अवधि के लिए पुनः गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस की मात्रा कितनी है;

(घ) देश में लंबी अवधि के आधार पर गैस की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण गैस-आधारित उत्पादन की कितनी क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है;

(ङ) सरकार द्वारा गैस-आधारित स्टेशनों की बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार विद्युत उत्पादन हेतु और अधिक प्राकृतिक गैस आवंटित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 30 जून, 2014 की स्थिति के अनुसार देश में मौजूदा गैस आधारित क्षमता (चालू हो चुकी) 21,211 मेगावाट है जिसमें से 18,800 मेगावाट मुख्य पाइप लाइन/गैस ग्रिड से जुड़ी है और 2411 मेगावाट पृथक गैस फील्ड से जुड़ी है । इन संयंत्रों को पूर्ण भार (90% संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) पर प्रचालित करने के लिए लगभग 102 मिलियन मीट्रिक स्टेंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) की आवश्यकता होती है । संयंत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) : माह जून, 2014 के दौरान मौजूदा विद्युत संयंत्रों को उपलब्ध/आपूर्ति की गई घरेलू गैस की मात्रा 28 एमएमएससीएमडी (1.48 एमएमएससीएमडी आरएलएनजी सहित) थी जो जून, 2014 में इन विद्युत संयंत्रों के लगभग 25 प्रतिशत के औसत पीएलएफ पर प्रचालन हेतु ही पर्याप्त थी ।

(ग) : विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध दीर्घकालिक अनुबंधित पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की मात्रा लगभग 5 एमएमएससीएमडी है । तथापि, आरएलएनजी की अधिक लागत के कारण, माह जून, 2014 में उत्पादन के लिए केवल 1.48 एमएमएससीएमडी आरएलएनजी की खपत हुई थी ।

(घ) : इस समय कृष्णा गोदावरी धीरूभाई-6 (केजी डी-6) फील्ड से घरेलू गैस उपलब्ध न होने के कारण, 6996 मेगावाट क्षमता के मुख्यतः केजी डी6 गैस पर प्रचालित होने वाले संयंत्र पूर्णतया निष्क्रिय पड़े हैं। इसके अतिरिक्त, 3761 मेगावाट की क्षमता गैस आबंटन के बिना ही चालू की गई है जो निष्क्रिय पड़ी हुई है। इसके अलावा, कुल 5349 मेगावाट क्षमता के संयंत्र चालू होने के लिए तैयार हैं और गैस आबंटन के लिए प्रतीक्षारत हैं।

(ङ) और (च) : गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) द्वारा कुछ कार्यनीतियों की जानकारी दी गई है, जो इस प्रकार हैं:-

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने व्यापक लोकहित को पूरा करने के आशय से एक ही स्वामी के विद्युत संयंत्रों के बीच गैस की क्लबिंग/डाइवर्जन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि उपलब्ध गैस का उपयोग संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) में सुधार करने के लिए अधिक कुशलतापूर्वक किया जा सके जिससे विद्युत उत्पादन में भी तदनुसार वृद्धि हो। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 14.03.2012 को दो पक्षकारों के बीच ऊर्जा समानता के आधार पर प्राकृतिक गैस की स्वैपिंग के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) ने दिनांक 23.08.2013 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि उर्वरक क्षेत्र को 31.5 एमएमएससीएमडी के स्तर पर आपूर्तियां बनाए रखी जाएँ और सभी अतिरिक्त, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) गैस यदि कोई है, तो उर्वरक क्षेत्र को 31.5 एमएमएससीएमडी के आपूर्ति स्तर को पूरा करने के बाद ही वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान विुद्युत क्षेत्र को आपूर्ति की जाए।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 14.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5236 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

क्रम सं.	विद्युत केंद्र का नाम	संस्थापित क्षमता $ (मेगावाट)	राज्य का नाम	पी/आई	90% पीएलएफ के लिए गैस आवश्यकता (एमएमएससीएमडी)
केंद्रीय क्षेत्र					
1	एनटीपीसी, फरीदाबाद, सीसीपीपी	431.59	हरियाणा	पी	2.07
2	एनटीपीसी, अंता सीसीपीपी	419.33	राजस्थान	पी	2.01
3	एनटीपीसी, ओरैया सीसीपीपी	663.36	उत्तर प्रदेश	पी	3.18
4	एनटीपीसी, दादरी सीसीपीपी	829.78	उत्तर प्रदेश	पी	3.98
	उप-जोड़ (एनआर)	**2344.06**			
5	एनटीपीसी, गांधार (झानोर)	657.39	गुजरात	पी	3.16
6	एनटीपीसी, कवास सीसीपीपी	656.2	गुजरात	पी	3.15
7	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)	1967	महाराष्ट्र	पी	9.44
	उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	**3280.59**			
8	कथलगुड़ी (नीपको)	291	असम	आई	1.40
9	अगरतला जीटी (नीपको)	84	त्रिपुरा	आई	0.40
10	त्रिपुरा सीसीपीपी (ओएनजीसी)	363.3	त्रिपुरा	आई	1.74
	उप-जोड़ (एनईआर)	**738.3**			
	कुल (सीएस)	**6362.95**			
राज्य क्षेत्र					
11	आई.पी. सीसीपीपी	270	दिल्ली	पी	1.30
12	प्रगति सीसीजीटी-III	1500	दिल्ली	पी	7.20
13	प्रगति सीसीपीपी	330.4	दिल्ली	पी	1.59
14	धौलापुर सीसीपीपी	330	राजस्थान	आई	1.58
15	रामगढ़ (आरआरवीयूएनेल, जैसलमेर)	273.8	राजस्थान	आई	1.31
	उप-जोड़ (एनआर)	**2704.2**			
16	पीपीवाव सीसीपीपी	702	गुजरात	पी	3.37
17	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	594.72	गुजरात	पी	2.85
18	हजीरा सीसीपीपी (जीएसईजी)	156.1	गुजरात	पी	0.75
19	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351	गुजरात	पी	1.68
20	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	518	गुजरात	पी	2.49
21	उरन सीसीपीपी (महाजैनको)	672	महाराष्ट्र	पी	3.23
	उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	**2993.82**			
22	कराईकल सीसीपीपी (पीपीसीएल)	32.5	पुडुचेरी	आई	0.16
23	कोवीकलपल (तिरूमकोट्टई)	107	तमिलनाडु	आई	0.51
24	कुट्टलम (टांगैडको)	100	तमिलनाडु	आई	0.48
25	वलुथूर सीसीपीपी (रामानंद)	186.2	तमिलनाडु	आई	0.89
	उप-जोड़ (एसआर)	**425.7**			
26	लकवा जीटी (एएसईबी, मैबेल्ला)	157.2	असम	आई	0.75
27	नामरूप सीसीपीपी + एसटी (एपीजीसीएल)	119	असम	आई	0.57
28	बारामुरा जीटी (टीएसईसीएल)	58.5	त्रिपुरा	आई	0.28
29	रोखिया जीटी (टीएसईसीएल)	111	त्रिपुरा	आई	0.53
	उप-जोड़ (एनईआर)	**445.7**			
	कुल (एसएस)	**6569.42**			
	कुल (सार्वजनिक क्षेत्र)	**12932.4**			

क्रम सं.	विद्युत केंद्र का नाम	संस्थापित क्षमता $ (मेगावाट)	राज्य का नाम	पी/आई	90% पीएलएफ के लिए गैस आवश्यकता (एमएमएससीएमडी)
निजी क्षेत्र					
30	वटवा सीसीपीपी (टोरेंट)	100	गुजरात	पी	0.48
31	ट्रॉम्बे सीसीपीपी (टीपीसी)	180	महाराष्ट्र	पी	0.86
	उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	**280**			
निजी आईपीपी क्षेत्र					
32	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)	108	दिल्ली	पी	0.52
	उप-जोड़ (एनआर)	**108**			
33	बड़ौदा सीसीपीपी (जीआईपीसीएल)	160	गुजरात	पी	0.77
34	एस्सार सीसीपीपी**	300	गुजरात	पी	1.44
35	पेगुथान सीसीपीपी (जीटीईसी)	655	गुजरात	पी	3.14
36	सुजैन सीसीपीपी (टोरेंट)	1147.5	गुजरात	पी	5.51
37	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	गुजरात	पी	1.84
38	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200	गुजरात	पी	5.76
	उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	**3845**			
39	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश	पी	2.23
40	जीएमआर - काकीनाडा (तनीरवावी)	220	आंध्र प्रदेश	पी	1.06
41	गोदावरी (स्पेक्ट्रम)	208	आंध्र प्रदेश	पी	1.00
42	जेगुरूपडु सीसीपीपी (जीवीके)	455.4	आंध्र प्रदेश	पी	2.19
43	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश	पी	2.14
44	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश	पी	1.76
45	कोंडापल्ली सीसीपीपी (लैंको)	350	आंध्र प्रदेश	पी	1.68
46	पेड्डापुरम (बीएसईएस)	220	आंध्र प्रदेश	पी	1.06
47	वेमागिरी सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश	पी	1.78
48	विजेश्वरन सीसीपीपी	272	आंध्र प्रदेश	पी	1.31
49	श्रीबा इण्डस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश	पी	0.14
50	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश	पी	0.13
51	सिल्क रोड शुगर	35	आंध्र प्रदेश	पी	0.17
52	एलवीएस पावर	55	आंध्र प्रदेश	पी	0.26
53	करूप्पुर सीसीपीपी (एबीएएन)	119.8	तमिलनाडु	आई	0.58
54	पी. नल्लूर सीसीपीपी (पीपीएन)	330.5	तमिलनाडु	आई	1.59
55	वैंलेंटरवी सीसीपीपी	52.8	तमिलनाडु	आई	0.25
	उप-जोड़ (एसआर)	**4021.5**			
56	डीएलएफ असम जीटी	24.5	असम	आई	0.12
	उप-जोड़ (एनईआर)	**24.5**			
	कुल (निजी आईपीपी क्षेत्र)	**7999**			
	कुल (निजी)	**8279**			
	सकल योग	**21211.4**			**101.81**

पी-पाइपलाइन कनेक्टेड आई- इसोलेटेड फील्ड्स कनेक्टेड

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5250

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग

5250. श्री रामसिंह राठवाः

श्रीमती कमला पाटलेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विद्युत का राज्य-वार प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में विद्युत का राज्य-वार प्रति व्यक्ति खपत **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) से (घ) : कुछ राज्यों में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत राष्ट्रीय औसत से कम है। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत में अंतर सामान्यतः जनसंख्या में काफी अंतर एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मिश्रित उपभोक्ताओं के कारण होता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट एवं नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की योजना तैयार की गई है। इन परियोजनाओं से राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा प्रति व्यक्ति कम खपत वाले राज्यों सहित सभी राज्यों को लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार ने राज्यों को अपनी अनुमानित मांग आपूर्ति परिदृश्य के अनुसार विद्युत खरीद की व्यवस्था करने की सलाह दी है। इससे उनकी प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि होगी।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 14.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5250 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश में विद्युत की राज्य-वार प्रतिव्यक्ति खपत

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**2012-13 ***
हरियाणा	1722.30
हिमाचल प्रदेश	1379.78
जम्मू एवं कश्मीर	1043.36
पंजाब	1761.08
राजस्थान	981.85
उत्तर प्रदेश	449.98
उत्तराखण्ड	1297.26
चण्डीगढ़	1167.63
दिल्ली	1613.25
उप-जोड़ (एनआर)	**852.09**
गुजरात	1796.29
मध्य प्रदेश	752.74
छत्तीसगढ़	1495.41
महाराष्ट्र	1239.33
गोवा	2044.90
दमन एवं दीव	7926.75
दादर एवं नागर हवेली	14340.74
उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	**1283.78**
आंध्र प्रदेश	1134.90
कर्नाटक	1129.09
केरल	630.07
तमिलनाडु	1226.26
पुडुचेरी	2135.74
लक्षद्वीप	591.53
उप-जोड़ (एसआर)	**1093.78**
बिहार	145.42
झारखण्ड	846.80
ओडिशा	1209.21
पश्चिम बंगाल	593.86
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	558.91
सिक्किम	861.80
उप-जोड़ (ईआर)	**552.20**
असम	240.28
मणिपुर	352.86
मेघालय	690.20
नागालैंड	268.49
त्रिपुरा	296.05
अरुणाचल प्रदेश	718.57
मिजोरम	469.38
उप-जोड़ (एनईआर)	**298.33**
अखिल भारत कुल	**914.41**

प्रति व्यक्ति खपत = (सकल ऊर्जा उत्पादन + निवल आयात)/मध्य वर्ष जनसंख्या

* अनंतिम

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5251

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

मानक बोली लगाने वाले दस्तावेज

5251. श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) ने विद्युत-उत्पादकों को अल्पावधि में ही 40000 मेगावाट विद्युत शक्ति का अनुबंध पूर्ण करने में सहायता की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार मानक बोली दस्तावेज में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या विद्युत कंपनियों ने इन परिवर्तनों का विरोध किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या क्रयकर्ता द्वारा भुगतान में चूक के कारण विद्युत संयंत्र का प्रचालन न होने के बावजूद आदर्श विद्युत क्रय समझौते को समाप्त किया जा सकता है और यदि हां, तो संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या इसके कारण निवेश और क्षेत्र की वृद्धिगत संभावनाओं में गतिरोध आता है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्तमान मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) जिन्हे मॉडल बोली दस्तावेज (एमबीडी) के नाम से जाना जाता है, डिजायन, निर्माण, वित्त प्रचालन और हस्तान्तरण (डीबीएफओटी) विद्युत परियोजनाओं/यूएमपीपी के लिए 20.09.2013 को और डिजायन, निर्माण, वित्त स्वामित्व और प्रचालन (डीबीएफओओ) आधार पर स्थापित ताप

विद्युत केन्द्रों के लिए 08.11.2013 को विद्युत के दीर्घकालीन प्रापण हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए थे।

वर्तमान मॉडल बोली दस्तावेजों (एमबीडी) के आधार पर प्रत्येक 4000 मेगावाट क्षमता वाली दो अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं नामतः ओडिशा में ओडिशा यूएमपीपी तथा तमिलनाडु में चेय्युर यूएमपीपी के लिए बोली प्रक्रिया की शुरूआत की गई है। चेय्युर यूएमपीपी के लिए बोली की निर्धारित तिथि 20.09.2014 तथा ओडिशा यूएमपीपी के लिए 07.10.2014 है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश तथा झारखण्ड राज्यों ने भी इन दस्तावेजों के तहत विद्युत के प्रापण हेतु प्रक्रिया की शुरूआत की है। यद्यपि, अभी तक किसी भी संविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) : इन मॉडल बोली दस्तावेजों के संशोधन के समय कुछ विद्युत कंपनियों ने मौजूदा निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन (बीओओ) मॉडल को छोड़ने, समाप्ति प्रावधानों, तकनीकी तथा प्रचालन पैरामीटरों, स्वतंत्र इंजीनियरों की भूमिका, नए मॉडल के तहत परियोजनाओं की बैंकेबिलिटी और ईंधन उपलब्धता जोखिम आदि के संबंध में अपने हितों का प्रश्न उठाया था। इन संशोधित दस्तावेजों की जांच की गई तथा यूटिलिटियों, उत्पादक कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन बनाते हुए सभी पणधारियों के साथ गहन चर्चा और परामर्श के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान करके इन दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया।

(घ) : जी हां, यदि प्रापक द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण विद्युत संयंत्र का प्रचालन नहीं किया जा सकता तो इस स्थिति में भी मॉडल विद्युत क्रय आपूर्ति करारों को समाप्त किया जा सकता है।

डिजायन, निर्माण, वित्त, प्रचालन एवं हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर स्थापित ताप विद्युत केन्द्रों हेतु मॉडल विद्युत क्रय करार (पीपीए) की धारा 37.2 के अनुसार यदि कोई यूटिलिटी रियायतग्राही को कोई भुगतान करने में असफल होती है तथा रियायतग्राही डिफाल्ट एसक्रो एकाउंट तथा लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से किसी भुगतान न की गई राशि को वसूल करने में असमर्थ रहता है, तो रियायतग्राही को पीपीए को समाप्त करने का अधिकार है।

इसी प्रकार डिजायन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन **(**डीबीएफओओ**)** आधार पर स्थापित ताप विद्युत केन्द्रों हेतु मॉडल विद्युत आपूर्ति करार **(**पीएसए**)** की धारा **31.2** के अनुसार यदि यूटिलिटी आपूर्तिकर्ता को कोई भुगतान करने में असफल होती है तथा आपूर्तिकर्ता डिफाल्ट एस्क्रो एकाउंट तथा लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम किसी भुगतान न की गई राशि को वसूल करने में असमर्थ रहता है, तो आपूर्तिकर्ता को पीएसए को समाप्त करने का अधिकार है।

(ड.) और (च) : एमबीडी जारी करते समय रियायत ग्राहियों तथा यूटिलिटियों की असफलताओं की स्थिति की विधिवत रूप से परिकल्पना की गई है तथा तद्नुसार दस्तावेजों की धाराओं में समाप्ति के लिए उपाय उपलब्ध कराए गए। सभी पणधारियों के साथ-साथ निवेशक, विकासकर्ताओं तथा संबंधित यूटिलिटियों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद यह लेवल प्लेइंग बनाया गया है। अतः क्षेत्रीय वृद्धि के लिए निवेश में बाधा डालने का प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5259

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रणाली विकास निधि के तहत सहायता

5259. श्री राहुल कस्वां:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार की ओर से विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) के तहत सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने उक्त प्रस्तावों को लागू करने के लिए सहायता को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पीएसडीएफ के तहत राजस्थान को सहायता कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) ने राजस्थान में सुरक्षा सम्बन्धित कमियों को दूर करने, रिएक्टर की संसथापना आदि के लिए राजस्थान के सभी सब-स्टेशनों के नवीकरण एवं उन्नयन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

(ग) से (ङ) : मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर, उक्त प्रस्ताव के लिए सहायता सीईआरसी एवं निगरानी समिति के अनुमोदन के पश्चात् उपलब्ध कराई जाएगी ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5261

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

लंबित पड़ी जल विद्युत परियोजनाएं

5261. श्री नलीन कुमार कटीलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक में गुंडिया, दक्षिण कन्नड़ जिला सहित देश में कई जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी के कारण लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो उन प्रत्येक परियोजना प्रस्तावों को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए किस तिथि को सौंपा गया था;

(ग) देश में जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में 1000 मेगावाट की क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन परियोजना प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ । नोडल मंत्रालय अर्थात पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

(ग) : पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 में नदी घाटी परियोजनाओं सहित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य है ।

(घ) : विगत छः वर्षों के दौरान, 1000 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाली एक परियोजना नामतः अरूणाचल प्रदेश के लोहित जिले में डोमवे लोअर एचईपी (1750 मेगावाट) परियोजना को पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.02.2010 में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है ।

(ङ) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और विद्युत मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है । परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ नियमित विचार-विमर्श किया जाता है ।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 14.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5261 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

क्रम सं.	राज्य	जल विद्युत परियोजना विवरण	वर्ष
1	कर्नाटक	जिला हसन एवं दक्षिण कनाडा, कर्नाटक में गुंडिया जल विद्युत परियोजना (200 मेगावाट)	2010
2	अरुणाचल प्रदेश	जिला पश्चिमी सियांग, अरुणाचल प्रदेश में हीरोंग एचईपी (500 मेगावाट)	2012
3	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश में जिला लहुल और स्पिटी में छतरू एचईपी परियोजना (120 मेगावाट)	2012
4	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड के जिला चमोली में जेलम टमक एचईपी (108 मेगावाट) परियोजना	2013
5	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश के जिला पश्चिमी सियांग में नेइंग एचईपी (1000 मेगावाट) परियोजना	2013
6	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश के जिला दिबांग वैली में दिबांग बहुउद्देश्यीय (3000 मेगावाट) परियोजना	2013
7	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश के जिला पश्चिमी सियांग में कंगटांगश्री एचईपी परियोजना (80 मेगावाट)	2013
8	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश में जिला लुहल और स्पिटी में शोंगटोम-करछम एचईपी परियोजना (450 मेगावाट)	2013
9	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर के जिला किश्टवार में किरू एचईपी (660 मेगावाट)	2014
10	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर के जिला किश्टवार में क्वार एचईपी (560 मेगावाट)	2014
11	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश के जिला पूर्वी सियांग में सिमांग-I एचईपी परियोजना (67 मेगावाट)	2013
12	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश के जिला पूर्वी सियांग में सिमांग-II एचईपी परियोजना (66 मेगावाट)	2013
13	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश के जिला पश्चिमी सियांग में हियो एचईपी (240 मेगावाट)	2014
14	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश के जिला पश्चिमी सियांग में टाटो-I एचईपी (186 मे.वा.)	2014
15	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग में पॉक एचईपी (240 मेगावाट)	2014
16	सिक्किम	सिक्किम में चूजाचेन (90 मेगावाट) एचईपी (110 मेगावाट संसोधित क्षमता के लिए वन स्वीकृति	2014
17	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा में सच-खास एचईपी (260 मेगावाट) परियोजना	2014

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5278

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्र

5278. श्री विष्णु दयाल रामः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या झारखंड राज्य में सभी विद्युत संयंत्रों से केवल 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है जबकि प्रतिदिन 6000 मेगावाट बिजली की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य के गठन के पश्चात् किसी ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं जबकि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला है; और

(ङ) क्या सरकार के पास राज्य में विद्युत संयंत्रों की स्थापना विशेषकर ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : झारखण्ड की व्यस्तम मांग 1060 मेगावाट है और केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र के सभी विद्युत संयंत्रों से राज्य को लगभग 1050 मेगावाट की विद्युत प्राप्त होती है। राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत पतरातु ताप विद्युत केन्द्र (770 मेगावाट) और तेनुघाट ताप विद्युत केन्द्र (400 मेगावाट) लगभग 450 मेगावाट का उत्पादन करते हैं। शेष 600 मेगावाट विद्युत दामोदर वैली कारपोरेशन सहित केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों से प्राप्त होती है।

(ग) और (घ) : झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात चालू की गई ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ड.) : झारखण्ड में कुल 2480 मेगावाट की दो ताप विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात दामोदर वैली कारपोरेशन और एनटीपीसी द्वारा निर्माणाधीन है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 14.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5278 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

झारखण्ड के गठन के बाद राज्य में चालू की गई ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

परियोजना का नाम और स्थान	**कार्यान्वयन एजेंसी**	**यूनिट सं.**	**उत्पादन क्षमता (मेगावाट)**	**चालू होने की तिथि**
केंद्रीय क्षेत्र				
चंद्रपुरा टीपीएस एक्सटें., जिला बोकारो	डीवीसी	यू-7	250	04-11-2009
		यू-8	250	31-03-2010
कोडरमा टीपीपी, जिला कोडरमा	डीवीसी	यू-1	500	20-07-2011
		यू-2	500	15-02-2013
मैथॉन राइट बैंक टीपीपी, जिला धनबाद	डीवीसी और टाटा पावर का संयुक्त उद्यम	यू-1	525	30-06-2011
		यू-2	525	23-03-2012
कुल (केंद्रीय)			**2550**	
निजी क्षेत्र				
जोजाबेरा टीपीपी, जमशेदपुर	टाटा पावर कंपनी लि.	यू-2	120	27-08-2001
		यू-3	120	01-02-2002
		यू-4	120	23-09-2005
महादेव प्रसाद टीपीपी, जिला-सरायकेला खरसवान	आधुनिक पावर एण्ड नैचुरल रिसोर्सेस लि.	यू-1	270	19-11-2012
		यू-2	270	29-03-2013
कुल (निजी)			**900**	
कुल ताप क्षमता अभिवृद्धि			**3450**	

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5286

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

राजस्थान को विशेष दर्जा

5286. श्री पी. पी. चौधरीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से इसकी भौगोलिक दशाओं को देखते हुए विद्युत उत्पादन को मजबूत करने एवं पारेषण हेतु इसे विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : राजस्थान सरकार ने हाल ही में 2022 के अन्त तक 25 गीगावाट सौर विद्युत क्षमता स्थापित करने के लिए सहायता**,** कोयले संबंधी मुद्दों, गैस संबंधी मुद्दों, आरजीजीवीवाई संबंधी मुद्दों तथा विद्युत प्रणाली विकास निधि से सहायता जैसे राजस्थान के तात्कालिक महत्व के मुद्दों के संबंध में सूचित किया है। राजस्थान को विशेष दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि**,** केन्द्र सरकार राज्य में उपभोक्ताओं को 24x7 घण्टे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को पूरा सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5294

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

आरजीजीवीवाई की समीक्षा

5294. श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपाराः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की समीक्षा करने और उसका पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्तमान में, विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5295

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन के लक्ष्य

5295. श्री धर्मेन्द्र यादवः

श्री आनंदराव अडसुलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चीन ने अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी की है और अगले पांच वर्षों में प्रति वर्ष 100.00 मेगावाट विद्युत क्षमतावर्धन की योजना बनायी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु देश में विद्युत उत्पादन क्षमता में संचयी वृद्धि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 12वीं योजना अवधि के लिए तय लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार, विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, 2013 **के अंत में चीन की संस्थापित क्षमता** 1250 **जीडब्ल्यू थी। चीन की** 12**वीं पंचवर्षीय योजना** (2011-15) **के अनुसार, संस्थापित क्षमता को** 2015 **के अंत में** 1490 **जीडब्ल्यू और** 2020 **तक** 1700-1800 **जीडब्ल्यू तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।**

(ख) और (ग) : 12**वीं पंचवर्षीय योजना** (2012-17) **के दौरान भारत का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य परम्परागत स्रोतों से** 88,537 **मेगावाट है। इसकी तुलना में** 31.07.2014 **तक परम्परागत स्रोतों से जोड़ी गई उत्पादन क्षमता**

43,446.25 मेगावाट है जो कि लक्षित क्षमता अभिवृद्धि का 49% है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संचयी क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य के अनुरूप है।

(घ) : विद्युत परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः-

(i) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) नियमित स्थल दौरों और विकासकर्ताओं और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति की निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परियोजनाओं को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने के लिए विकासकर्ताओं और अन्य पणधारियों के साथ आवधिक रूप से समीक्षा बैठकों का आयोजन करता है और उनका समाधान करने में मदद करता है।

(ii) विद्युत मंत्रालय द्वारा 12वीं योजना के दौरान और उसके बाद शुरू किए जाने के लिए लक्षित ताप और जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की सम्बद्ध पारेषण प्रणालियों सहित स्वतंत्र निगरानी हेतु एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) की स्थापना की गई है।

(iii) समस्या क्षेत्रों को चिन्हित करने और बकाया मुद्दों के तीव्र निपटारे को सुकर बनाने के लिए भारी उद्योग विभाग और योजना आयोग सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5299

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत उपभोग को कम करने के लिए कार्य योजना

5299. श्री पी. कुमारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विद्युत उपभोग कम करने और ऊर्जा की कम खपत करने वाले उपकरणों के प्रसार हेतु कोई कार्य योजना क्रियान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) लोगों को ऊर्जा की कम खपत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हां।

(ख) : भारत सरकार ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीतियों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है और ऊर्जा उपभोग को कम करने के लिए नेशनल मिशन फॉर इन्हैंस्ड एनर्जी एफिसिएंशी (एनएमईईई) के अंतर्गत क्रियाकलापों का भी कार्यान्वयन कर रही है। ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानकीकरण एवं लेवलीकरण (एस एण्ड एल) कार्यक्रम शुरू किया था। मानकीकरण एवं लेवलीकरण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य अपने

ऊर्जा उपभोग आंकड़ों के आधार पर ऊर्जा उपभोग वाले उपकरणों को लेवलीकृत करना है ताकि घरेलू और अन्य उपकरणों की ऊर्जा और लागत बचत क्षमता के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प उपलब्ध कराया जा सके।

(ग) : यह एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रयास से 11वीं योजना के दौरान 10835 मेगावाट के विद्युत उत्पादन की बचत हुई है।

(घ) : ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानकीकरण एवं लेवलीकरण कार्यक्रम शुरू किया था। उपर्युक्त लक्ष्यों के साथ, मानकीकरण एवं लेवलीकरण कार्यक्रम व्यापक रूप से 16 उपकरण शामिल हैं जिनमें से 4 उपस्कर अर्थात रूम एयर कण्डीशनर (स्पिलिट एण्ड विन्डो किस्म के), फ्रास्ट फ्री रेफ्रीडजरेटर, ट्यूब्यूलर फ्लोरेसेंट लैम्प, वितरण ट्रांसफार्मरों को अनिवार्य बनाया गया था। 12 उपकरण अर्थात डायरेक्ट कूल्ड रेफ्रीजरेटर, इण्डक्शन मोटर, कृषि पम्पसेट, सीलिंग फैन, इलैक्ट्रिक गीजर, कलर टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, कम्प्यूटर (लैपटॉप/नोटबुक), बैलास्ट, कार्यालयी उपस्कर, लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (एलपीजी) स्टोव, डीजल जेनरेटर (डीजी) कृषि पम्पसेट स्वैच्छिक लेवलीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं।

इन सभी उपकरणों पर "बीईई स्टार लेवल" अंकित है जिससे जनता को उनके ऊर्जा उपभोग संबंधी जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके साथ-साथ जनता को ऊर्जा लेवल संबंधी जानकारी के बारे में सूचित करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम भी शुरू किया गया है ताकि ऊर्जा दक्ष उपकरणों के अपनाए जाने को प्रोत्साहित किया जा सके।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5307

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

5307. प्रो. सौगत रायः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत विद्युत क्षेत्र के सुधारों को अपनाने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत सुधारों को अपनाने वाले राज्यों को कितने अनुदान और ऋण प्रदान किए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्यों में जहां सुधार हुए हैं, विद्युत क्षेत्र की कार्य प्रणाली की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी राज्य सरकार ने विद्युत सुधारों के क्रियान्वयन के लिए समय बढ़ाने की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की राज्य-वार प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत अधिनियम**,** 2003 के अधिनियमन और उसके अन्तर्गत बनाई गई नीतियों और विनियमों से अंतिम उपभोक्ताओं तक लाभों को पहुंचाने और क्षेत्र के संतुलित विकास के समग्र उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं।

विद्युत समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, अधिनियम के प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित केन्द्र तथा राज्य सरकारों के साथ-साथ विभिन्न सांविधिक निकायों और इकाइयों पर लागू हैं। विद्युत अधिनियम, **2003** में विद्युत क्षेत्र में सुधारों के फ्रेमवर्क की व्यवस्था की गई है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172 के सम्बंध में, सभी राज्यों ने अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन किया है।

(ख) : यद्यपि, विद्युत क्षेत्र में सुधारों को अपनाने के लिए विशेष रूप से कोई अनुदान/ऋण प्रदान नहीं किया जाता है तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई कुछ स्कीमों/कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) और राज्य वितरण कम्पनियों (डिस्कामों) के वित्तीय पुनर्गठन के लिए स्कीम में निर्दिष्ट हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र में किए गए सुधार उपाय भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय ने राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के प्रभाव पर इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए) द्वारा एक अध्ययन कराया था। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ कमियों के बावजूद भी पुनर्गठन का समग्र प्रभाव सकारात्मक और सही दिशा में रहा है।

(ड.) और (च) : सभी राज्यों ने अब अपने राज्य विद्युत बोर्डों को पुनर्गठित कर लिया है। केन्द्र सरकार ने समय-समय पर पहले भी संबंधित राज्य सरकारों के लिए समय बढ़ाने की मंजूरी दी थी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5310

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय विद्युत नीति और प्रशुल्क नीति

5310. श्री हरिंदर सिंह खालसाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नवीनतम राष्ट्रीय विद्युत नीति और प्रशुल्क नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(1), (4) और (5) के अनुसार उक्त नीति को तैयार/संशोधित और समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अनुपालन में, दिनांक 12 फरवरी, 2005 को राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) अधिसूचित की गई थी। इसी प्रकार से, केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अंतर्गत, दिनांक 6 जनवरी, 2006 को प्रशुल्क नीति अधिसूचित की गई थी। राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा प्रशुल्क नीति की मुख्य विशेषताएं/उद्देश्य **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय विद्युत नीति में आज तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। तथापि, प्राप्त किए गए अनुभव तथा विद्युत क्षेत्र में की गई प्रौद्योगिकीय उन्नति के आधार पर, प्रशुल्क नीति के प्रावधानों में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। जल विद्युत नीति, 2008 में परिवर्तनों के कारण दिनांक 31.03.2008 को प्रशुल्क नीति में पहली बार संशोधन किया गया जिसका अनुमोदन मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। नीति में अगला संशोधन, राष्ट्रीय सौर मिशन के अनुरूप वितरण यूटिलिटियों द्वारा विद्युत की कुल खपत में सौर ऊर्जा का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करने के लिए दिनांक 20 जनवरी, 2011 को किया गया। जल विद्युत परियोजनाओं तथा कुछ पारेषण परियोजनाओं को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली से कुछ और अवधि तक छूट दिए जाने के लिए, इसमें दिनांक 8 जुलाई, 2011 को पुनः संशोधन किया गया।

इस मंत्रालय को प्रशुल्क नीति में आगे और संशोधन करने के लिए, 12वीं योजना के लिए विद्युत क्षेत्र संबंधी कार्य दल की सिफारिशें, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पीजीसीआईएल तथा अन्य पणधारियों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 14.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5310 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

राष्ट्रीय विद्युत नीति की मुख्य विशेषताएं/उद्देश्य

राष्ट्रीय विद्युत नीति (2005) का लक्ष्य विद्युत क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए दिशा-निर्देश बनाना, ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, इन संसाधनों के दोहन के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी, विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करते हुए उत्पादन अर्थशास्त्र को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करना तथा उपभोक्ताओं एवं अन्य पणधारियों के हितों की रक्षा करना, और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी मामले है।

इस नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- विद्युत की पहुँच : अगले पाँच वर्षों में सभी घरों के लिए उपलब्ध।
- विद्युत की उपलब्धता : मांग को 2012 तक पूर्णतः पूरा किया जाना। ऊर्जा एवं व्यस्ततम समय की कमियों को पूरा किया जाना तथा पर्याप्त स्पिनिंग रिजर्व उपलब्ध कराना।
- विशिष्ट मानकों की विश्वसनीय एवं क्वालिटी विद्युत की कुशल ढंग से तथा उचित दरों पर आपूर्ति।
- प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता को 1000 इकाईयों से अधिक बढ़ाया जाना।
- 2012 तक 1 यूनिटप्रति/ घर /प्रति दिन के न्यूनतम लाइफ लाइन उपयोग को मैरिट गुड आधार के रूप में बनाना।
- विद्युत क्षेत्र का वित्तीय परिवर्तन एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा।

इसके अतिरिक्त, इसमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा अल्पकालिक एवं भावी योजना तैयार किए जाने के दिशा-निर्देश और ग्रामीण विद्युतीकरण के मुद्दों का समाधान, उत्पादन, पारेषण, वितरण, सेवा लागत की वसूली एवं लक्षित सब्सिडी, प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी), उपभोक्ता हितों पर लक्षित प्रतिस्पर्द्धा, निजी क्षेत्र प्रतिभागिता सहित विद्युत क्षेत्र कार्यक्रमों का वित्तपोषण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरणीय मुद्दे, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास व उत्पादन एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधन तथा उपभोक्ता हित और गुणवत्ता मानदण्डों की सुरक्षा समाविष्ट है।

प्रशुल्क नीति की मुख्य विशेषताएं/उद्देश्य

प्रशुल्क नीति का उद्देश्य इस प्रकार हैः

(क) उपभोक्ताओं को उचित तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
(ख) क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित करना तथा निवेश आकर्षित करना;
(ग) अधिकार-क्षेत्र में विनियामक सोच में पारदर्शिता, सामंजस्य तथा पूर्वानुमान को बढ़ावा देना और विनियामक जोखिम की संभावनाओं को न्यूनतम करना;
(घ) प्रचालन में प्रतिस्पर्धा, दक्षता को बढ़ावा देना तथा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाना।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5311

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत का उत्पादन

5311. श्री पी. सी. गद्दीगौदरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस वर्ष देश में अनिश्चित मानसून का विद्युत उत्पादन पर क्षेत्र-वार प्रभाव क्या है; और

(ख) केंद्र सरकार द्वारा अनिश्चित मानसून के कारण विद्युत की मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए कौन-से वैकल्पिक कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जून-जुलाई, 2014 की अवधि के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं से (भूटान से आयात सहित) सकल विद्युत उत्पादन विगत वर्ष की इसी अवधि के 29867 मि.यू. की तुलना में 27674 मि.यू. था, इसलिए 2193 मि.यू. की कमी हुई । यह कमी मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र (1453 मि.यू.) और केन्द्रीय क्षेत्र (1062 मि.यू.) की जल विद्युत परियोजनाओं में थी । जून से जुलाई, 2013 की तुलना में जून-जुलाई, 2014 में जल विद्युत उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार हैः

क्षेत्र	**वास्तविक उत्पादन (एमयू) में**			**पिछले वर्ष का %**
	जून और जुलाई, 2014	**जून और जुलाई, 2013**	**वृद्धि (+)/ कमी (-)**	
केन्द्रीय	14040.38	15102.72	-1062.34	92.97
राज्य	10046.95	11500.38	-1453.43	87.36
निजी	3586.6	3263.45	323.15	109.90
कुल	**27673.93**	**29866.55**	**-2192.62**	**92.66**

(ख) : कम मानसून के कारण विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) कोयला आधारित उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

(ii) कुछ ताप विद्युत स्टेशनों के नियोजित रख-रखाव को मानसून के पश्चात पुनः निर्धारित किया गया है ।

(iii) चूंकि पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर) का ताप विद्युत उत्पादन आवश्यकता से अधिक है, पश्चिमी क्षेत्र से गैस, जब कभी उपलब्ध हो, ईष्टतम उपयोग के लिए उत्तरी क्षेत्र (एनआर) को डायवर्ट की जा रही है।

(iv) उत्पादन स्टेशनो, विशेषकर आयातित कोयला अथवा नापथा आधारित स्टेशनों के अधिकतम उपयोग द्वारा विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि जिनका सामान्यतः उच्च लागत अथवा कम ईंधन उपलब्धता के कारण कम उपयोग किया जाता है ।

(v) जो संयंत्र उच्च लागत के कारण रिर्जव बंदी के अधीन थे, उन्हें कमी की भरपाई करने के लिए प्रचालित किया गया था ।

(vi) कम मानसून के कारण प्रभावित क्षेत्रों को अन्तरक्षेत्रीय विद्युत उपलब्ध कराई गई थी ।

(vii) 765 केवी रायचूर-सोलापुर पारेषण लाइन चालू करके अंतर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता में वृद्धि ।

(viii) विंध्याचल एसटीपीएस (चरण-IV) की 500 मे.वा. की एक यूनिट को उत्तरी क्षेत्र के साथ जोड़ते हुए आकस्मिक व्यवस्था, जो अन्यथा पश्चिमी क्षेत्र के लिए है ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5332

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

ईंधन आपूर्ति के लिंकेज का निरसन

5332. डॉ. पी. वेणुगोपालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के ईंधन आपूर्ति लिंकेज को निरस्त करने की योजना बनाई थी जो चालू किए जाने की मूल रूप से निर्धारित समय-सीमा को पूरा करने में असफल थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन असफल विद्युत संयंत्रों के ईंधन की आपूर्ति उन संयंत्रों को अंतरित की जाएगी जो विद्युत उत्पादन के लिए तैयार हैं पर उनके पास सुनिश्चित ईंधन लिंकेज नहीं है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नए मानक उन विद्युत संयंत्रों पर लागू नहीं किए जाएंगे जो विकासकों के नियंत्रण से बाहर के कारकों के कारण विलंबित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5336

जिसका उत्तर 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

प्रोत्साहन/हतोत्साहन पैकेज

5336. श्री भीमराव बी. पाटीलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विद्युत क्षेत्र में 'ओपेन एक्सेस' प्रणाली को लागू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन और हतोत्साहन पैकेज दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रत्येक राज्य की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

****